

प्रेषक

जाती समाधि बन्धु

आनन्द कुमार सिंह

संयुक्त सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
स्टेल लेवल नोडल एजेन्सी,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,

वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर

अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, औरैया, आजमगढ़, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बुलन्दशहर, देवरिया, एटा, फैजाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गाजीपुर, गोरखपुर, हरदोई, हाथरस, अमरोहा, कानपुर नगर, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर, मेरठ, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, सम्भल, संतकबीरनगर, संतरविदास नगर, शाहजहाँपुर, सिद्धार्थनगर, सुल्तानपुर, उन्नाव।

भूमि विकास एवं जल संसाधन अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 21 मार्च, 2013  
(समादेश बन्धु)

विषय- समेकित जल संग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009-10 में स्वीकृत 37 परियोजनाओं (मैनपुरी व कन्नौज को छोड़कर) के एडमिनिस्ट्रेटिव मद में 2.7 प्रतिशत, वाटरशेड वर्क मद में 14.914 प्रतिशत धनराशि का आवंटन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भूमि संसाधन विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं० के-11013/19/2012/आई०डब्ल्यू०एम०पी०(यू०पी०) दिनांक 17.01.2013 द्वारा प्राप्त केन्द्रांश एवं प्रदेश शासन के शासनादेश सं० 70/54-1-2012-8(23)/2011 टी०सी० दिनांक 18.02.2013 द्वारा प्राप्त राज्यांश (अनुपात क्रमशः के०:रा०-९०:१०) को परियोजना मद की धनराशि एडमिनिस्ट्रेटिव मद में 2.7 प्रतिशत, वाटरशेड वर्क मद में 14.914 प्रतिशत की धनराशि को समेकित जल प्रबन्धन कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु आरटीजीएस के माध्यम से संबंधित इकाईयों के परियोजनावार खोले गये खातों में स्थानान्तरित की जा रही है। जिनका विवरण निम्न प्रकार है-

(धनराशि करोड़ में)

S. No.	NAME OF THE DISTRICT (37 Projects)	Name of Project	Bank Name	Account No.	ADM	WDW	Total Amount
					2.7%	14.914%	17.614%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Aligarh	IWMP-1	Allahabad Bank	50145688181	0.1606716	0.8875023	1.0481739
2	Ambedkarnagar	IWMP-1	Punjab National Bank	0974000106149023	0.1647540	0.9100523	1.0748063
3	Auriya	IWMP-1	Punjab National Bank	0966000110049323	0.2001348	1.1054853	1.3056201
4	Azamgarh	IWMP-1	Punjab National Bank	0504000100251808	0.2215836	1.2239622	1.4455458
5	Barabanki	IWMP-1	Bank of India	751810110000897	0.2328912	1.2864220	1.5193132
6	Bareilly	IWMP-1	State Bank of India	31175322825	0.1632312	0.9016408	1.0648720
7	Basti	IWMP-1	State Bank of India	31179051279	0.1481004	0.8180627	0.9661631
8	Bulandsahar	IWMP-1	Punjab National Bank	0267000104534914	0.1370196	0.7568557	0.8938753
9	Deoriya	IWMP-1	Punjab National Bank	1507000102536123	0.1394496	0.7702783	0.9097279
10	Etah	IWMP-1	Central Bank of India	3069119494	0.1322244	0.7303684	0.8625928
11	Faizabad	IWMP-1	Bank of Baroda	22260100009979	0.1653696	0.9134527	1.0788223
12	Fathehpur	IWMP-1	Punjab National Bank	0170000400319438	0.1686420	0.9315284	1.1001704
13	Firozabad	IWMP-1	Union Bank of India	424302010018227	0.1662768	0.9184638	1.0847406
14	Gazipur	IWMP-1	Union Bank of India	392702010320644	0.1394496	0.7702783	0.9097279
15	Gorakhpur	IWMP-1	Punjab National Bank	2990000100099153	0.1191348	0.6580653	0.7772001
16	Hardoi	IWMP-1	Punjab National Bank	2003000100721668	0.1868184	1.0319295	1.2187479
17	Hathras	IWMP-1	Punjab National Bank	0200000101981019	0.1308636	0.7228518	0.8537154

S. No.	NAME OF THE DISTRICT (37 Projects)	Name of Project	Bank Name	Account No.	ADM	WDW	Total Amount
					2.7%	14.914%	17.614%
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Amroha	IWMP-1	Oriental Bank of Commerce	15472011001727	0.1789452	0.9884403	1.1673855
19	Kanpur Nagar	IWMP-1	I.D.B.I Bank	0898104000030515	0.2169504	1.1983697	1.4153201
20	Kausambi	IWMP-1	Bank of Baroda	29750100009933	0.1660824	0.9173900	1.0834724
21	Kusinagar	IWMP-1	Allahabad Bank	50110286414	0.1899936	1.0494684	1.2394620
22	Lakhimpur Khiri	IWMP-1	syndicate bank	87002210036207	0.2215188	1.2236042	1.4451230
23	Meerut	IWMP-1	syndicate bank	88372210025023	0.1548396	0.8552881	1.0101277
24	Mirzapur	IWMP-1	Punjab National Bank	3866000100089476	0.1360152	0.7513077	0.8873229
25	Muzzaffernagar	IWMP-1	Punjab National Bank	2514010100017976	0.2266380	1.2518812	1.4785192
26	Pratapgarh	IWMP-1	Punjab National Bank	1869000100366686	0.2166264	1.1965800	1.4132064
27	Raebareli	IWMP-1	Dena Bank	046610025512	0.2070684	1.1437845	1.3508529
28	Rampur	IWMP-1	Punjab National Bank	0932000105024040	0.2192832	1.2112554	1.4305386
29	Saharanpur	IWMP-1	Allahabad Bank	50123590699	0.2219076	1.2257518	1.4476594
30	Sambhal	IWMP-2	Punjab National Bank	6341000100000573	0.1653696	0.9134527	1.0788223
31	Sambhal	IWMP-1	State Bank of India	31174935162	0.2002320	1.1060222	1.3062542
32	Sant Kabir Nagar	IWMP-1	State Bank of India	31179302804	0.1187784	0.6560967	0.7748751
33	Sant Ravidas Nagar	IWMP-1	Union Bank of India	303902010670790	0.1646568	0.9095154	1.0741722
34	Shahjahanpur	IWMP-1	Punjab National Bank	0423000109290347	0.2244024	1.2395324	1.4639348
35	Siddharthnagar	IWMP-1	Allahabad Bank	50100984963	0.2174040	1.2008753	1.4182793
36	Sultanpur	IWMP-1	UCO Bank	19000110020234	0.2297484	1.2690621	1.4988105
37	Unnao	IWMP-1	Union Bank of India	519602010516362	0.2209680	1.2205618	1.4415298
	<b>Total</b>	<b>37</b>			<b>6.6740436</b>	<b>36.8654394</b>	<b>43.5394830</b>

**(रु० तैतालीस करोड़ तिरपन लाख चौरानवे हजार आठ सौ तीस रूपये मात्र)**

- 1- परियोजना मद की धनराशि जनपद स्तर पर जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डब्ल्यूसीडीसी तथा परियोजना प्रबन्धक के नाम से खोले गये परियोजना के बचत खाते में जमा होंगे। परियोजना मद की इस धनराशि का आहरण जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डब्ल्यूसीडीसी एवं परियोजना प्रबन्धक के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा तथा लेखों का मिलान बैंक से नियमानुसार समय-समय पर कराया जायेगा।
- 2- परियोजना मद की धनराशि स्टेट लेबिल नोडल एजेन्सी को सूचित किये गये बैंक के परियोजना बचत खाते में रखा जायेगा तथा व्यय स्वीकृत मदों में ही स्वीकृत सीमा तक सुसंगत वित्तीय नियमों/आदेशों के अनुसार किया जायेगा। इस धनराशि को किसी अन्य बैंक या किसी अन्य खाते में नहीं रखा जायेगा और न ही किसी प्रकार के सावधिजमा (अल्पकालीन/मध्यकालीन) खाते में रखा जायेगा।
- 3- धनराशि का आहरण एवं व्यय करते समय भारत सरकार द्वारा जारी कामन गाइड लाइन-2008 (संशोधित-2011) तथा समय समय पर जारी भारत सरकार एवं राज्य सरकार के खाता संचालन सम्बन्धी नियमों एवं निर्देशों का पालन किया जायेगा।
- 4- शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देश एवं मॉगी गयी सूचनाओं को उपलब्ध कराने के साथ-साथ व्यय की गयी धनराशि की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की मासिक मद वार सूचना भारत सरकार एवं शासन को एम.आई.एस. पद्धति से भारत सरकार की वेबसाइट [dolr.nic.in](http://dolr.nic.in) एवं शासन की E-mail Address- [ddcellldwrlu-up@nic.in](mailto:ddcellldwrlu-up@nic.in) पर उपलब्ध करायी जायेगी।
- 5- इस धनराशि का व्यय भारत सरकार के पत्र सं० के-11013/19/2010 /आईडब्ल्यूएमपी (उ०प्र०) दिनांक 29-09-2010 एवं के-11013/19/2012/आईडब्ल्यूएमपी (यू०पी०) दिनांक 17.01.2013 को भी संज्ञान में रखा जायेगा।
- 6- जनपद में डब्ल्यूसीडीसी स्तर पर चेकबुक रजिस्टर, ग्रान्ट रिसीड रजिस्टर, ग्रान्ट डिस्ट्रीब्यूशन रजिस्टर, वाटरशेड कमेटी एवं पी०आई०ए० से प्राप्त यू०सी० का रजिस्टर, मदवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का रजिस्टर तथा पीआईए स्तर पर राज्य से प्राप्त ग्रान्ट रजिस्टर, डब्ल्यूसीडीसी को प्रेषित यू०सी० का रजिस्टर, बैंक समाधान विवरण रजिस्टर, वाटरशेड कमेटी से

प्रगति का रजिस्टर आदि अभिलेखों का रख-रखाव सुनिश्चित कराई जायेगी ।

7- इस धनराशि से वाहन/फोटो कापीयर मशीन/वी0डी0ओ0 रिकार्डर/प्रोजेक्टर/स्थायी भवन निर्माण अथवा अन्य किसी पूँजीगत मद में व्यय नहीं किया जायेगा ।

8- एसएलएनए, बैंक एंव डब्ल्यू0सी0डी0सी0 के मध्य त्रिपक्षीय अनुबन्ध (एम0ओ0यू0) कराया जायेगा जिसमें भारत सरकार द्वारा जारी कामन गाइड लाइन-2008 (संशोधित-2011) तथा समय समय पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी खाता संचालन संबंधी नियमों एवं निर्देशों का अनुपालन करने तथा खाते में जमा अवशेष पर प्राप्त ब्याज की धनराशि की सूचना भारत सरकार एवं राज्य सरकार को त्रैमासिक आधार पर भारत सरकार की वेबसाइट [dolr.nic.in](http://dolr.nic.in) एवं शासन की E-mail Address:- [ddcellldwrlu-up@nic.in](mailto:ddcellldwrlu-up@nic.in) पर सूचित करने तथा अधिकृत व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी के हस्ताक्षर से धनराशि का आहरण/स्थानान्तरण नहीं करने का उल्लेख होगा ।

9- वित्तीय वर्ष की समाप्ति के अगले वर्ष माह जुलाई के अन्दर लेखों का आडिट प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित चार्टर्ड एकाउन्टेड के पैनल से करवाकर आडिट रिपोर्ट एवं यू0सी0 दो प्रतियों में स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी ।

10- जनपद स्तर पर समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी) जिलाधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण में संचालित की जायेगी । वित्तीय, प्रशासनिक एवं विधिक, कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी सक्षम प्राधिकारी है ।

11- भारत सरकार से अनुमोदित/प्रस्तावित परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायेगा और कार्य कराने से पूर्व उसका विस्तृत विवरण/आगणन/डीपीआर तथा कार्ययोजना जिसमें विशेष रूप से माईल्स्टोन तथा टाईम लाइन्स का समावेश करते हुए सक्षम स्तर से अनुमोदित कराते हुए परियोजना का कार्यान्वयन कराया जायेगा ।

12- अवमुक्त की जा रही धनराशि परियोजना की कुल स्वीकृत लागत का 17.614 प्रतिशत है एडमिनिस्ट्रेटिव मद में 2.7 प्रतिशत, वाटरशेड वर्क मद में 14.914 प्रतिशत आदि व्ययों हेतु निर्धारित है ।

13- प्रश्नगत कार्य कराने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि राज्य सरकार/भारत सरकार/अन्य किसी श्रोत से इस परियोजना हेतु कोई धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही स्वीकृत हेतु प्रस्तावित है ।

14- कार्य में प्रयोग की जाने वाली धनराशि का क्वय स्टोर परचेज नियमों तथा समय समय पर जारी तत्संबंधी शासनादेशों एवं नियमों के अनुसार कराया जायेगा तथा कार्य के अनुमान/आगणन पर यथाविधि सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के बाद कार्य प्रारम्भ कराया जाये ।

15- परियोजना में विशिष्टियों एवं मानकों के अनुसार समयबद्ध एवं गुणात्मक कार्य विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा ।

16- परियोजना के कार्यान्वयन में संबंधित जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त के साथ भी प्रभावी समन्वय सुनिश्चित किया जायेगा और इनके द्वारा निरन्तर रूप से परियोजना की प्रगति का अनुश्रवण कर नियमित रूप से प्रगति से अवगत कराया जायेगा ।

17- भारत सरकार एवं राज्य सरकार के अधिकारियों के निरीक्षण के समय जनपद स्तर/पीआईए स्तर पर/डब्ल्यू सी स्तर पर रखे जाने वाले अभिलेखों एवं बैंक खातों के निरीक्षण हेतु अभिलेख उपलब्ध कराये जायेंगे तथा निरीक्षण में अपेक्षित सहयोग प्रदान कराया जायेगा ।

18- परियोजना के लिए स्पष्ट रूप से क्षेत्र/लाभार्थी को अभिज्ञानित कर जनमानस के लिए सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित किया जायेगा ताकि स्थानीय जनमानस के सहयोग से द्विरावृत्ति को रोका जा सके । साथ ही विभागीय अधिकारियों के साथ ही थर्ड पार्टी निरीक्षण/सत्यापन

भी अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त परियोजना के कार्यान्वयन में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जायेगी।

19- परियोजना कार्यान्वयन हेतु आवंटित धनराशि को 15 दिन के अन्दर कार्यदायी संस्थाओं/पी0आई0ए0 तथा डब्ल्यू0सी0 को नियमानुसार अवमुक्त किया जायेगा।

20- इस धनराशि का अंकन ग्रान्ट रजिस्टर के क्रमांक-34, 35 एवं 37 पर कर लिया गया है।

कृपया उपरोक्त धनराशि की प्राप्ति स्वीकार करते हुये प्राप्ति रसीद/पुष्टि प्रमाण-पत्र शासन के फ़ैक्स संख्या-0522-2238425 पर तत्काल प्रेषित करवाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(आनन्द कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी

संख्या-<sup>159</sup> (1)/54-1-13/8(9)/2011टीसी तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- संयुक्त सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग, 11 ब्लाक छठा तल, सी0जी0 ओ0 काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली।
- 2- विशेष सचिव एवं स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0शासन।
- 3- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 शासन।
- 4- मण्डलायुक्त सहारनपुर, मुरादाबाद, मेरठ, आगरा, अलीगढ़, बरेली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, फैजाबाद, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी, विन्ध्याचल।
- 5- राज्य योजना आयोग-1/नियोजन अनुभाग-3/वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-1
- 6- संयुक्त निदेशक, समादेश बंधु, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0शासन
- 7- आयुक्त एवं प्रशासक, शारदा सहायक समादेश परियोजना, गोखले मार्ग, लखनऊ।
- 8- अध्यक्ष एवं प्रशासक, रामगंगा कमाण्ड परियोजना, कानपुर।
- 9- उप निदेशक, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग मण्डल अलीगढ़, फैजाबाद, आजमगढ़, बरेली, आगरा, इलाहाबाद, गोरखपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, कानपुर, मिर्जापुर, वाराणसी, मेरठ, सहारनपुर, बस्ती को इस आशय से कि कार्यदायी संस्था को अपने स्तर से अवगत करा दें।
- 10- संबंधित भूमि संरक्षण अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 11- प्रशासनिक अधिकारी, एस0एल0डी0सी0, 23 सी, गोखलेमार्ग, लखनऊ को इस निर्देशों के साथ की इसे विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
- 12- एन0आई0सी0 की प्रति।
- 13- गार्ड फाइल।

(आनन्द कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी